

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड ननूरखेड़ा देहरादून

आदेश संख्या/ 393 / उ0आ0वि0स0 / रा0गां0न0वि0 / प्रतिनियुक्ति / 2016-17 दिनांक 04 जून 2016
विज्ञप्ति / प्रतिनियुक्ति

उत्तराखण्ड आवासीय विद्यालय समिति द्वारा संचालित राजीव गांधी नवोदय विद्यालयों में रिक्त टी0जी0टी0 व्यायाम(पुरुष) पद पर साक्षात्कार समिति की संस्तुति पर शैक्षणिक शाखा के निम्न कार्मिकों को चयनोपरान्त स्तम्भ 4 में अंकित विद्यालय में टी0जी0टी0 व्यायाम(पुरुष) पद के प्रति 3 वर्ष अथवा नियमित नियुक्ति होने तक (जो भी पहले हो) प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापित किया जाता है।

प्रतिनियुक्ति अवधि जन हित में विशेष परिस्थितियों में कार्य निष्पादन उत्तम होने पर अतिरिक्त 01 वर्ष तक बढ़ायी जा सकती है। कार्यभार ग्रहण करने के तीन माह के अन्तर्गत सम्बन्धित के कार्यों का परीक्षण किया जायेगा जिसके आधार पर प्रतिनियुक्ति अवधि के सम्बन्ध में निर्णय लिया जायेगा। कार्य संतोषप्रद न होने की स्थिति में प्रतिनियुक्ति 3 वर्ष की अवधि से पूर्व कभी भी समाप्त की जा सकती है।

क्र.सं.	नाम	पदनाम / कार्यरत विद्यालय	आवंटित आवासीय विद्यालय का नाम
1	2	3	4
1	श्री आनन्द सिंह रावत	स0अ0 व्यायाम, रा0इ0का0 इटारना देहरादून	राजीव गांधी नवोदय विद्यालय ननूरखेड़ा देहरादून
2	मो0 रिहान सिद्धकी	स0अ0 व्यायाम, रा0इ0का0 पालीगुणादित्य अल्मोली	राजीव गांधी नवोदय विद्यालय खटीमा उधमसिंहनगर
3	श्री संजीव रावत	स0अ0 व्यायाम, रा0इ0का0 आछरीखुंट टिहरी	राजीव गांधी नवोदय विद्यालय शिकारपुर हरिद्वार
4	श्री मनोज कुमार पाण्डेय	टी0जी0टी0 व्यायाम रा0गां0न0वि0 कोटाबाग नैनीताल	राजीव गांधी नवोदय विद्यालय कोटाबाग नैनीताल
5	श्री प्रवीण कुमार	टी0जी0टी0 व्यायाम रा0गां0न0वि0 गंगोलीहाट पिथौरागढ़	राजीव गांधी नवोदय विद्यालय गंगोलीहाट पिथौरागढ़
6	श्री प्रमोद रावत	स0अ0 व्यायाम, रा0इ0का0 उर्गम चमोली	राजीव गांधी नवोदय विद्यालय चिन्यालीसौड़ उत्तरकाशी
7	श्री कमल किशोर सक्सेना	स0अ0 व्यायाम, रा0इ0का0 कनकपुर उधमसिंहनगर	राजीव गांधी नवोदय विद्यालय लोहाघाट चम्पावत


प्रतिनियुक्ति पर कार्यभार ग्रहण करने के समय बायोडाटा फॉर्म, शैक्षणिक/प्रशिक्षण/अनुभव प्रमाण पत्रों की छाया प्रति (एक सैट), मूल विभाग से कार्यभार मुक्ति प्रमाण पत्र, अनापत्ति प्रमाण पत्र, एल0पी0सी0 एवं स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्राचार्य के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

प्रतिनियुक्ति अवधि में सम्बन्धित कार्मिक को उनके मूल विभाग में उनके मूल पद के वेतनमान में मूल वेतन एवं ग्रेड वेतन अनुमन्य होगा एवं प्रतिनियुक्ति भत्ता उत्तराखण्ड शासन द्वारा इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार देय होगा।

विद्यालय प्रांगण में उपलब्ध आवासीय व्यवस्था में रहना अनिवार्य होगा। विद्यालय परिसर में आवासीय व्यवस्था न होने की स्थिति में विद्यालय परिसर से निकटतम 3 कि0मी0 की परिधि में स्वयं आवासीय व्यवस्था करनी होगी।

प्रतिनियुक्ति अवधि में किसी संगठन/एसोशियेशन में सक्रिय भागीदारी करने अथवा ऐसी गतिविधियों जिन से विद्यालय के हित प्रभावित होते हों, में सम्मिलित होने की स्थिति में प्रतिनियुक्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी जायेगी।

प्रतिनियुक्ति पर आवंटित विद्यालय में 07 जुलाई 2016 तक अनिवार्यतः कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा प्रतिनियुक्ति स्वतः निरस्त हो जायेगी।


(आप्त के कुंवर)


निदेशक

माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड

देहरादून

पृष्ठांकन संख्या: / 7385-98 / उ0आ0वि0स0 / रा0गां0न0वि0 / प्रतिनियुक्ति / 2016-17 दिनांक उक्तवत्
प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. सचिव विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन।
2. जिलाधिकारी सम्बन्धित जनपद।
3. अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा कुमायूँ मण्डल नैनीताल/गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
4. कोषाधिकारी सम्बन्धित जनपद।
5. मुख्य शिक्षा अधिकारी सम्बन्धित जनपद।
6. सेवाएँ-2 अनुभाग माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड।
7. सम्बन्धित प्राचार्य राजीव गांधी नवोदय विद्यालय।
8. सम्बन्धित प्रधानाचार्य रा0इ0का0 / रा0क0इ0का0 / रा0उ0मा0वि0 / रा0क0उ0मा0वि0
9. सम्बन्धित कार्मिक।
10. कार्यालय प्रति।


11.6.16

(उमा दत्त गोस्वामी)

उप निदेशक

माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड

देहरादून।

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड ननूरखेड़ा देहरादून

आदेश संख्या/ 394 / उ0आ0वि0स0 / रा0गा0न0वि0 / प्रतिनियुक्ति / 2016-17 दिनांक 04 जून 2016
विज्ञप्ति / प्रतिनियुक्ति

उत्तराखण्ड आवासीय विद्यालय समिति द्वारा संचालित राजीव गांधी नवोदय विद्यालयों में रिक्त टी0जी0टी0 व्यायाम (महिला) पद पर साक्षात्कार समिति की संस्तुति पर शैक्षणिक शाखा के निम्न कार्मिकों को चयनोपरान्त स्तम्भ 4 में अंकित विद्यालय में टी0जी0टी0 व्यायाम(महिला) पद के प्रति 3 वर्ष अथवा नियमित नियुक्ति होने तक (जो भी पहले हो) प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापित किया जाता है।

प्रतिनियुक्ति अवधि जन हित में विशेष परिस्थितियों में कार्य निष्पादन उत्तम होने पर अतिरिक्त 01 वर्ष तक बढ़ायी जा सकती है। कार्यभार ग्रहण करने के तीन माह के अन्तर्गत सम्बन्धित के कार्यों का परीक्षण किया जायेगा जिसके आधार पर प्रतिनियुक्ति अवधि के सम्बन्ध में निर्णय लिया जायेगा। कार्य संतोषप्रद न होने की स्थिति में प्रतिनियुक्ति 3 वर्ष की अवधि से पूर्व कभी भी समाप्त की जा सकती है।

क्र.सं.	नाम	पदनाम / कार्यरत विद्यालय	आवंटित आवासीय विद्यालय का नाम
1	2	3	4
1	श्रीमती सोनिया सैनी	स0अ0 व्यायाम, रा0उ0मा0वि0 चोपड़ा मल्ला पौड़ी	राजीव गांधी नवोदय विद्यालय शिकारपुर हरिद्वार


प्रतिनियुक्ति पर कार्यभार ग्रहण करने के समय बायोडाटा फॉर्म, शैक्षणिक/प्रशिक्षण/अनुभव प्रमाण पत्रों की छाया प्रति (एक सैट), मूल विभाग से कार्यभार मुक्ति प्रमाण पत्र, अनापत्ति प्रमाण पत्र, एल0पी0सी0 एवं स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्राचार्य के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

प्रतिनियुक्ति अवधि में सम्बन्धित कार्मिक को उनके मूल विभाग में उनके मूल पद के वेतनमान में मूल वेतन एवं ग्रेड वेतन अनुमन्य होगा एवं प्रतिनियुक्ति भत्ता उत्तराखण्ड शासन द्वारा इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार देय होगा।

विद्यालय प्रांगण में उपलब्ध आवासीय व्यवस्था में रहना अनिवार्य होगा। विद्यालय परिसर में आवासीय व्यवस्था न होने की स्थिति में विद्यालय परिसर से निकटतम 3 कि0मी0 की परिधि में स्वयं आवासीय व्यवस्था करनी होगी।

प्रतिनियुक्ति अवधि में किसी संगठन/एसोशियेशन में सक्रिय भागीदारी करने अथवा ऐसी गतविधियों जिन से विद्यालय के हित प्रभावित होते हों, में सम्मिलित होने की स्थिति में प्रतिनियुक्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी जायेगी।


प्रतिनियुक्ति पर आवंटित विद्यालय में 07 जुलाई 2016 तक अनिवार्यतः कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा प्रतिनियुक्ति स्वतः निरस्त हो जायेगी।


(आस0 के0 कुंवर)

निदेशक
माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड
देहरादून

पृष्ठांकन संख्या: / 7399-412 / उ०आ०वि०स० / रा०गां०न०वि० / प्रतिनियुक्ति / 2016-17 दिनांक उक्तवत्
प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. सचिव विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन।
2. जिलाधिकारी सम्बन्धित जनपद।
3. अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा कुमायूँ मण्डल नैनीताल/गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
4. कोषाधिकारी सम्बन्धित जनपद।
5. मुख्य शिक्षा अधिकारी सम्बन्धित जनपद
6. सेवाएँ-2 अनुभाग माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड
7. सम्बन्धित प्राचार्य राजीव गांधी नवोदय विद्यालय।
8. सम्बन्धित प्रधानाचार्य रा०इ०का० / रा०क०इ०का० / रा०उ०मा०वि० / रा०क०उ०मा०वि०
9. सम्बन्धित कार्मिक।
10. कार्यालय प्रति।


(उमा दत्त गोस्वामी)

उप निदेशक
माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड
देहरादून।

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड ननूरखेड़ा देहरादून

आदेश संख्या/ **395** / उ0आ0वि0स0 / रा0गां0न0वि0 / प्रतिनियुक्ति / 2016-17 दिनांक **04** जून 2016
विज्ञापित / प्रतिनियुक्ति

उत्तराखण्ड आवासीय विद्यालय समिति द्वारा संचालित राजीव गांधी नवोदय विद्यालयों में रिक्त टी0जी0टी0 कला पद पर साक्षात्कार समिति की संस्तुति पर शैक्षणिक शाखा के निम्न कार्मिकों को चयनोपरान्त स्तम्भ 4 में अंकित विद्यालय में टी0जी0टी0 कला पद के प्रति 3 वर्ष अथवा नियमित नियुक्ति होने तक (जो भी पहले हो) प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापित किया जाता है।

प्रतिनियुक्ति अवधि जन हित में विशेष परिस्थितियों में कार्य निष्पादन उत्तम होने पर अतिरिक्त 01 वर्ष तक बढ़ायी जा सकती है। कार्यभार ग्रहण करने के तीन माह के अन्तर्गत सम्बन्धित के कार्यों का परीक्षण किया जायेगा जिसके आधार पर प्रतिनियुक्ति अवधि के सम्बन्ध में निर्णय लिया जायेगा। कार्य संतोषप्रद न होने की स्थिति में प्रतिनियुक्ति 3 वर्ष की अवधि से पूर्व कभी भी समाप्त की जा सकती है।

क्र.सं.	नाम	पदनाम / कार्यरत विद्यालय	आवंटित आवासीय विद्यालय का नाम
1	2	3	4
1	श्रीमती कल्पना रावत	टी0जी0टी0 कला, रा0गां0न0वि0 ननूरखेड़ा देहरादून	राजीव गांधी नवोदय विद्यालय ननूरखेड़ा देहरादून
2	श्री कुलदीप कोठारी	स0अ0 कला, रा0उ0मा0वि0मुसेटी, थलीसैण पौड़ी	राजीव गांधी नवोदय विद्यालय रूद्रप्रयाग
3	श्री मुकेश कुमार	स0अ0 कला, रा0इ0का0बैरासकुण्ड चमोली	राजीव गांधी नवोदय विद्यालय शिकारपुर हरिद्वार

प्रतिनियुक्ति पर कार्यभार ग्रहण करने के समय बायोडाटा फॉर्म, शैक्षणिक/प्रशिक्षण/अनुभव प्रमाण पत्रों की छाया प्रति (एक सैट), मूल विभाग से कार्यभार मुक्ति प्रमाण पत्र, अनापत्ति प्रमाण पत्र, एल0पी0सी0 एवं स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्राचार्य के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

प्रतिनियुक्ति अवधि में सम्बन्धित कार्मिक को उनके मूल विभाग में उनके मूल पद के वेतनमान में मूल वेतन एवं ग्रेड वेतन अनुमन्य होगा एवं प्रतिनियुक्ति भत्ता उत्तराखण्ड शासन द्वारा इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार देय होगा।

विद्यालय प्रांगण में उपलब्ध आवासीय व्यवस्था में रहना अनिवार्य होगा। विद्यालय परिसर में आवासीय व्यवस्था न होने की स्थिति में विद्यालय परिसर से निकटतम 3 कि0मी0 की परिधि में स्वयं आवासीय व्यवस्था करनी होगी।

प्रतिनियुक्ति अवधि में किसी संगठन/एसोशियेशन में सक्रिय भागीदारी करने अथवा ऐसी गतविधियों जिन से विद्यालय के हित प्रभावित होते हों, में सम्मिलित होने की स्थिति में प्रतिनियुक्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी जायेगी।


प्रतिनियुक्ति पर आवंटित विद्यालय में 07 जुलाई 2016 तक अनिवार्यतः कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा प्रतिनियुक्ति स्वतः निरस्त हो जायेगी।

(Handwritten Signature)
 (आप्र0 के0 कुंवर)
 दिनांक 04.06.2016

निदेशक
 माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड
 देहरादून

पृष्ठांकन संख्या: / 7413-26 / उ0आ0वि0स0 / रा0गा0न0वि0 / प्रतिनियुक्ति / 2016-17 दिनांक उक्तवत्
प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. सचिव विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन
2. जिलाधिकारी सम्बन्धित जनपद
3. अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा कुमायूँ मण्डल नैनीताल/गढ़वाल मण्डल पौड़ी
4. कोषाधिकारी सम्बन्धित जनपद
5. मुख्य शिक्षा अधिकारी सम्बन्धित जनपद
6. सेवाएँ-2 अनुभाग माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड
7. सम्बन्धित प्राचार्य राजीव गांधी नवोदय विद्यालय
8. सम्बन्धित प्रधानाचार्य रा0इ0का0 / रा0क0इ0का0 / रा0उ0मा0वि0 / रा0क0उ0मा0वि0
9. सम्बन्धित कार्मिक
10. कार्यालय प्रति


(उमा दत्त गोस्वामी)

उप निदेशक
माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड
देहरादून।

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड ननूरखेड़ा देहरादून

आदेश संख्या/ 396 / उ0आ0वि0स0 / रा0गां0न0वि0 / प्रतिनियुक्ति / 2016-17 दिनांक 14 जून 2016
विज्ञप्ति / प्रतिनियुक्ति

उत्तराखण्ड आवासीय विद्यालय समिति द्वारा संचालित राजीव गांधी नवोदय विद्यालयों में रिक्त टी0जी0टी0 संगीत पद पर साक्षात्कार समिति की संस्तुति पर शैक्षणिक शाखा के निम्न कार्मिकों को चयनोपरान्त स्तम्भ 4 में अंकित विद्यालय में टी0जी0टी0 संगीत पद के प्रति 3 वर्ष अथवा नियमित नियुक्ति होने तक (जो भी पहले हो) प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापित किया जाता है।

प्रतिनियुक्ति अवधि जन हित में विशेष परिस्थितियों में कार्य निष्पादन उत्तम होने पर अतिरिक्त 01 वर्ष तक बढ़ायी जा सकती है। कार्यभार ग्रहण करने के तीन माह के अन्तर्गत सम्बन्धित के कार्यों का परीक्षण किया जायेगा जिसके आधार पर प्रतिनियुक्ति अवधि के सम्बन्ध में निर्णय लिया जायेगा। कार्य संतोषप्रद न होने की स्थिति में प्रतिनियुक्ति 3 वर्ष की अवधि से पूर्व कभी भी समाप्त की जा सकती है।

क्र.सं.	नाम	पदनाम / कार्यरत विद्यालय	आवंटित आवासीय विद्यालय का नाम
1	2	3	4
1	श्री बृजेश कुमार शाह	टी0जी0टी0 संगीत, रा0गां0न0वि0 ननूरखेड़ा, देहरादून	राजीव गांधी नवोदय विद्यालय ननूरखेड़ा देहरादून
2	श्री रविकमल त्रिवेदी	टी0जी0टी0 संगीत, रा0गां0न0वि0 शिकारपुर हरिद्वार	राजीव गांधी नवोदय विद्यालय शिकारपुर हरिद्वार


प्रतिनियुक्ति पर कार्यभार ग्रहण करने के समय बायोडाटा फॉर्म, शैक्षणिक/प्रशिक्षण/अनुभव प्रमाण पत्रों की छाया प्रति (एक सैट), मूल विभाग से कार्यभार मुक्ति प्रमाण पत्र, अनापत्ति प्रमाण पत्र, एल0पी0सी0 एवं स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्राचार्य के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

प्रतिनियुक्ति अवधि में सम्बन्धित कार्मिक को उनके मूल विभाग में उनके मूल पद के वेतनमान में मूल वेतन एवं ग्रेड वेतन अनुमन्य होगा एवं प्रतिनियुक्ति भत्ता उत्तराखण्ड शासन द्वारा इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार देय होगा।

विद्यालय प्रांगण में उपलब्ध आवासीय व्यवस्था में रहना अनिवार्य होगा। विद्यालय परिसर में आवासीय व्यवस्था न होने की स्थिति में विद्यालय परिसर से निकटतम 3 कि0मी0 की परिधि में स्वयं आवासीय व्यवस्था करनी होगी।

प्रतिनियुक्ति अवधि में किसी संगठन/एसोशियेशन में सक्रिय भागीदारी करने अथवा ऐसी गतविधियों जिन से विद्यालय के हित प्रभावित होते हों, में सम्मिलित होने की स्थिति में प्रतिनियुक्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी जायेगी।


प्रतिनियुक्ति पर आवंटित विद्यालय में 07 जुलाई 2016 तक अनिवार्यतः कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा प्रतिनियुक्ति स्वतः निरस्त हो जायेगी।


(आर0 के0 कुंवर)
निदेशक

माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड
देहरादून

पृष्ठांकन संख्या: / 7427-40 / उ0आ0वि0स0 / रा0गां0न0वि0 / प्रतिनियुक्ति / 2016-17 दिनांक उक्तवत्
प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. सचिव विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन
2. जिलाधिकारी सम्बन्धित जनपद
3. अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा कुमायूँ मण्डल नैनीताल/गढ़वाल मण्डल पौड़ी
4. कोषाधिकारी सम्बन्धित जनपद
5. मुख्य शिक्षा अधिकारी सम्बन्धित जनपद
6. सेवाएँ-1 एवं सेवाएँ-2 अनुभाग माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड
7. सम्बन्धित प्राचार्य राजीव गांधी नवोदय विद्यालय
8. सम्बन्धित प्रधानाचार्य रा0इ0का0 / रा0क0इ0का0 / रा0उ0मा0वि0 / रा0क0उ0मा0वि0
9. सम्बन्धित कार्मिक
10. कार्यालय प्रति


11.6.16

(उमा दत्त गोस्वामी)

उप निदेशक

माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड
देहरादून।

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड ननूरखेड़ा देहरादून

आदेश संख्या/ **397** / उ०आ०वि०स० / रा०गा०न०वि० / प्रतिनियुक्ति / 2016-17 दिनांक **04** जून 2016
विज्ञप्ति / प्रतिनियुक्ति

उत्तराखण्ड आवासीय विद्यालय समिति द्वारा संचालित राजीव गांधी नवोदय विद्यालयों में रिक्त टी०जी०टी० विज्ञान (CBZ) पद पर साक्षात्कार समिति की संस्तुति पर शैक्षणिक शाखा के निम्न कार्मिकों को चयनोपरान्त स्तम्भ 4 में अंकित विद्यालय में टी०जी०टी० विज्ञान (CBZ) पद के प्रति 3 वर्ष अथवा नियमित नियुक्ति होने तक (जो भी पहले हो) प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापित किया जाता है।

प्रतिनियुक्ति अवधि जन हित में विशेष परिस्थितियों में कार्य निष्पादन उत्तम होने पर अतिरिक्त 01 वर्ष तक बढ़ायी जा सकती है। कार्यभार ग्रहण करने के तीन माह के अन्तर्गत सम्बन्धित के कार्यों का परीक्षण किया जायेगा जिसके आधार पर प्रतिनियुक्ति अवधि के सम्बन्ध में निर्णय लिया जायेगा। कार्य संतोषप्रद न होने की स्थिति में प्रतिनियुक्ति 3 वर्ष की अवधि से पूर्व कभी भी समाप्त की जा सकती है।

क्र.सं.	नाम	पदनाम / कार्यरत विद्यालय	आवंटित आवासीय विद्यालय का नाम
1	2	3	4
1	श्री निर्मल रावत	स०अ०, विज्ञान रा०उ०मा०वि०समाल्टा देहरादून	राजीव गांधी नवोदय विद्यालय ननूरखेड़ा देहरादून
2	डा० सुबोध कुमार	स०अ०, विज्ञान रा०उ०मा०वि० पाण्डथली चमोली	राजीव गांधी नवोदय विद्यालय देवलधार टिहरी
3	श्री अरविन्द कुमार	स०अ०, विज्ञान रा०उ०मा०वि०सिसौना उधमसिंहनगर	राजीव गांधी नवोदय विद्यालय शिकारपुर हरिद्वार
4	श्री चन्द्र प्रकाश जोशी	स०अ०, विज्ञान रा०इ०का०सेल पिथौरागढ़	राजीव गांधी नवोदय विद्यालय कोटाबाग नैनीताल


प्रतिनियुक्ति पर कार्यभार ग्रहण करने के समय बायोडाटा फॉर्म, शैक्षणिक/प्रशिक्षण/अनुभव प्रमाण पत्रों की छाया प्रति (एक सैट), मूल विभाग से कार्यभार मुक्ति प्रमाण पत्र, अनापत्ति प्रमाण पत्र, एल०पी०सी० एवं स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्राचार्य के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

प्रतिनियुक्ति अवधि में सम्बन्धित कार्मिक को उनके मूल विभाग में उनके मूल पद के वेतनमान में मूल वेतन एवं ग्रेड वेतन अनुमन्य होगा एवं प्रतिनियुक्ति भत्ता उत्तराखण्ड शासन द्वारा इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार देय होगा।

विद्यालय प्रांगण में उपलब्ध आवासीय व्यवस्था में रहना अनिवार्य होगा। विद्यालय परिसर में आवासीय व्यवस्था न होने की स्थिति में विद्यालय परिसर से निकटतम 3 कि०मी० की परिधि में स्वयं आवासीय व्यवस्था करनी होगी।

प्रतिनियुक्ति अवधि में किसी संगठन/एसोशियेशन में सक्रिय भागीदारी करने अथवा ऐसी गतिविधियों जिन से विद्यालय के हित प्रभावित होते हों, में सम्मिलित होने की स्थिति में प्रतिनियुक्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी जायेगी।


प्रतिनियुक्ति पर आवंटित विद्यालय में 07 जुलाई 2016 तक अनिवार्यतः कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा प्रतिनियुक्ति स्वतः निरस्त हो जायेगी।


(आर० के० कुंवर)

निदेशक
माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड
देहरादून

पृष्ठांकन संख्या: / 7441-54 / उ०आ०वि०स० / रा०गा०न०वि० / प्रतिनियुक्ति / 2016-17 दिनांक उक्तवत्
प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. सचिव विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन
2. जिलाधिकारी सम्बन्धित जनपद
3. अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा कुमायूँ मण्डल नैनीताल / गढ़वाल मण्डल पौड़ी
4. कोषाधिकारी सम्बन्धित जनपद
5. मुख्य शिक्षा अधिकारी सम्बन्धित जनपद
6. सेवाएँ-2 अनुभाग माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड
7. सम्बन्धित प्राचार्य राजीव गांधी नवोदय विद्यालय
8. सम्बन्धित प्रधानाचार्य रा०इ०का० / रा०क०इ०का० / रा०उ०मा०वि० / रा०क०उ०मा०वि०
9. सम्बन्धित कार्मिक
10. कार्यालय प्रति


(उमा दत्त गोस्वामी)

उप निदेशक
माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड
देहरादून।

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड ननूरखेड़ा देहरादून

आदेश संख्या / **398** / उ0आ0वि0स0 / रा0गां0न0वि0 / प्रतिनियुक्ति / 2016-17 दिनांक **04** जून 2016
विज्ञप्ति / प्रतिनियुक्ति

उत्तराखण्ड आवासीय विद्यालय समिति द्वारा संचालित राजीव गांधी नवोदय विद्यालयों में रिक्त टी0जी0टी0 संस्कृत पद पर साक्षात्कार समिति की संस्तुति पर शैक्षणिक शाखा के निम्न कार्मिकों को चयनोपरान्त स्तम्भ 4 में अंकित विद्यालय में टी0जी0टी0 संस्कृत पद के प्रति 3 वर्ष अथवा नियमित नियुक्ति होने तक (जो भी पहले हो) प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापित किया जाता है।

प्रतिनियुक्ति अवधि जन हित में विशेष परिस्थितियों में कार्य निष्पादन उत्तम होने पर अतिरिक्त 01 वर्ष तक बढ़ायी जा सकती है। कार्यभार ग्रहण करने के तीन माह के अन्तर्गत सम्बन्धित के कार्यों का परीक्षण किया जायेगा जिसके आधार पर प्रतिनियुक्ति अवधि के सम्बन्ध में निर्णय लिया जायेगा। कार्य संतोषप्रद न होने की स्थिति में प्रतिनियुक्ति 3 वर्ष की अवधि से पूर्व कभी भी समाप्त की जा सकती है।

क्र.सं.	नाम	पदनाम / कार्यरत विद्यालय	आवंटित आवासीय विद्यालय का नाम
1	2	3	4
1	श्री महेश दत्त उनियाल	स0अ0 हिन्दी, रा0इ0का0तैलासिलगढ़ रुद्रप्रयाग	राजीव गांधी नवोदय विद्यालय ननूरखेड़ा देहरादून
2	श्री बाला दत्त शर्मा	स0अ0 हिन्दी, रा0इ0का0मछोड़ सल्ट अल्मोड़ा	राजीव गांधी नवोदय विद्यालय चौनलिया अल्मोड़ा
3	श्रीमती शकुन्तला भण्डारी	टी0जी0टी0 हिन्दी, रा0गां0न0वि0 संतुधार पौड़ी	राजीव गांधी नवोदय विद्यालय शिकारपुर हरिद्वार
4	श्री कमान राम	स0अ0 हिन्दी, रा0इ0का0रोहिड़ा चमोली	राजीव गांधी नवोदय विद्यालय कोटाबाग नैनीताल


प्रतिनियुक्ति पर कार्यभार ग्रहण करने के समय बायोडाटा फॉर्म, शैक्षणिक/प्रशिक्षण/अनुभव प्रमाण पत्रों की छाया प्रति (एक सैट), मूल विभाग से कार्यभार मुक्ति प्रमाण पत्र, अनापत्ति प्रमाण पत्र, एल0पी0सी0 एवं स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्राचार्य के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

प्रतिनियुक्ति अवधि में सम्बन्धित कार्मिक को उनके मूल विभाग में उनके मूल पद के वेतनमान में मूल वेतन एवं ग्रेड वेतन अनुमन्य होगा एवं प्रतिनियुक्ति भत्ता उत्तराखण्ड शासन द्वारा इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार देय होगा।

विद्यालय प्रांगण में उपलब्ध आवासीय व्यवस्था में रहना अनिवार्य होगा। विद्यालय परिसर में आवासीय व्यवस्था न होने की स्थिति में विद्यालय परिसर से निकटतम 3 कि0मी0 की परिधि में स्वयं आवासीय व्यवस्था करनी होगी।

प्रतिनियुक्ति अवधि में किसी संगठन/एसोशियेशन में सक्रिय भागीदारी करने अथवा ऐसी गतविधियों जिन से विद्यालय के हित प्रभावित होते हों, में सम्मिलित होने की स्थिति में प्रतिनियुक्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी जायेगी।


प्रतिनियुक्ति पर आवंटित विद्यालय में 07 जुलाई 2016 तक अनिवार्यतः कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा प्रतिनियुक्ति स्वतः निरस्त हो जायेगी।


(आर0 के0 कृवर)

निदेशक
माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड
देहरादून

पृष्ठांकन संख्या: / 7455-68 / उ०आ०वि०स० / रा०गा०न०वि० / प्रतिनियुक्ति / 2016-17 दिनांक उक्तवत्
प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. सचिव विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन।
2. जिलाधिकारी सम्बन्धित जनपद।
3. अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा कुमायूँ मण्डल नैनीताल/गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
4. कोषाधिकारी सम्बन्धित जनपद।
5. मुख्य शिक्षा अधिकारी सम्बन्धित जनपद।
6. सेवाएँ-2 अनुभाग माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड।
7. सम्बन्धित प्राचार्य राजीव गांधी नवोदय विद्यालय।
8. सम्बन्धित प्रधानाचार्य रा०इ०का० / रा०क०इ०का० / रा०उ०मा०वि० / रा०क०उ०मा०वि०
9. सम्बन्धित कार्मिक।
10. कार्यालय प्रति।


6.16

(उमा दत्त गोस्वामी)

उप निदेशक

माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड

देहरादून।

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड ननूरखेड़ा देहरादून

आदेश संख्या / **399** / उ0आ0वि0स0 / रा0गा0न0वि0 / प्रतिनियुक्ति / 2016-17 दिनांक **24** जून 2016

विज्ञापित / प्रतिनियुक्ति

उत्तराखण्ड आवासीय विद्यालय समिति द्वारा संचालित राजीव गांधी नवोदय विद्यालयों में रिक्त टी0जी0टी0 एस0एस0टी0 पद पर साक्षात्कार समिति की संस्तुति पर शैक्षणिक शाखा के निम्न कार्मिकों को चयनोपरान्त स्तम्भ 4 में अंकित विद्यालय में टी0जी0टी0 एस0एस0टी0 पद के प्रति 3 वर्ष अथवा नियमित नियुक्ति होने तक (जो भी पहले हो) प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापित किया जाता है।

प्रतिनियुक्ति अवधि जन हित में विशेष परिस्थितियों में कार्य निष्पादन उत्तम होने पर अतिरिक्त 01 वर्ष तक बढ़ायी जा सकती है। कार्यभार ग्रहण करने के तीन माह के अन्तर्गत सम्बन्धित के कार्यों का परीक्षण किया जायेगा जिसके आधार पर प्रतिनियुक्ति अवधि के सम्बन्ध में निर्णय लिया जायेगा। कार्य संतोषप्रद न होने की स्थिति में प्रतिनियुक्ति 3 वर्ष की अवधि से पूर्व कभी भी समाप्त की जा सकती है।

क्र.सं.	नम	पदनाम / कार्यरत विद्यालय	आवंटित आवासीय विद्यालय का नाम
1	2	3	4
1	श्री अनिल कुमार कटैत	स0अ0 सामान्य, रा0उ0मा0वि0 नागथलीमणी उत्तरकाशी	राजीव गांधी नवोदय विद्यालय ननूरखेड़ा देहरादून
2	श्री यतेन्द्र सिंह नेगी	स0अ0 सामान्य, रा0इ0का0काण्डाखाल पौड़ी	राजीव गांधी नवोदय विद्यालय ननूरखेड़ा देहरादून
3	श्री भीम सिंह	स0अ0 सामान्य, रा0इ0का0 स्याल्दे अल्मोड़ा	राजीव गांधी नवोदय विद्यालय कोटाबाग नैनीताल
4	श्रीमती प्रमीला	स0अ0 सामान्य, रा0उ0मा0वि0भमरईखाल पौ0	राजीव गांधी नवोदय विद्यालय सन्तूधार पौड़ी
5	श्रीमती असीमा फहीम	स0अ0 सामान्य, रा0इ0का0त्यूनी देहरादून	राजीव गांधी नवोदय विद्यालय शिकारपुर हरिद्वार
6	श्री सुनील कुमार उप्रेती	स0अ0 सामान्य, रा0उ0मा0वि0छारछुम धारचुला पिथौरागढ	राजीव गांधी नवोदय विद्यालय शिकारपुर हरिद्वार
7	श्रीमती माया यादव	स0अ0 सामान्य, रा0इ0का0खाल्यूखेत, पौड़ी	राजीव गांधी नवोदय विद्यालय कोटाबाग नैनीताल


प्रतिनियुक्ति पर कार्यभार ग्रहण करने के समय बायोडाटा फॉर्म, शैक्षणिक/प्रशिक्षण/अनुभव प्रमाण पत्रों की छाया प्रति (एक सैट), मूल विभाग से कार्यभार मुक्ति प्रमाण पत्र, अनापत्ति प्रमाण पत्र, एल0पी0सी0 एवं स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्राचार्य के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

प्रतिनियुक्ति अवधि में सम्बन्धित कार्मिक को उनके मूल विभाग में उनके मूल पद के वेतनमान में मूल वेतन एवं ग्रेड वेतन अनुमन्य होगा एवं प्रतिनियुक्ति भत्ता उत्तराखण्ड शासन द्वारा इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार देय होगा।

विद्यालय प्रांगण में उपलब्ध आवासीय व्यवस्था में रहना अनिवार्य होगा। विद्यालय परिसर में आवासीय व्यवस्था न होने की स्थिति में विद्यालय परिसर से निकटतम 3 कि0मी0 की परिधि में स्वयं आवासीय व्यवस्था करनी होगी।


प्रतिनियुक्ति अवधि में किसी संगठन/एसोशियेशन में सक्रिय भागीदारी करने अथवा ऐसी गतिविधियों जिन से विद्यालय के हित प्रभावित होते हों, में सम्मिलित होने की स्थिति में प्रतिनियुक्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी जायेगी।

प्रतिनियुक्ति पर आवंटित विद्यालय में 07 जुलाई 2016 तक अनिवार्यतः कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा प्रतिनियुक्ति स्वतः निरस्त हो जायेगी।


 (अस0 के0 कुंवर)
 निदेशक
 माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड
 देहरादून

पृष्ठांकन संख्या: / 7469-82 / उ०आ०वि०स० / रा०गा०न०वि० / प्रतिनियुक्ति / 2016-17 दिनांक उक्तवत्
प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. सचिव विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन।
2. जिलाधिकारी सम्बन्धित जनपद।
3. अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा कुमायूँ मण्डल नैनीताल/गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
4. कोषाधिकारी सम्बन्धित जनपद।
5. मुख्य शिक्षा अधिकारी सम्बन्धित जनपद।
6. सेवाएँ-2 अनुभाग माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड।
7. सम्बन्धित प्राचार्य राजीव गांधी नवोदय विद्यालय।
8. सम्बन्धित प्रधानाचार्य रा०इ०का० / रा०क०इ०का० / रा०उ०मा०वि० / रा०क०उ०मा०वि०
9. सम्बन्धित कार्मिक।
10. कार्यालय प्रति।


Mr. G-16

(उमा दत्त गोस्वामी)

उप निदेशक

माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड

देहरादून।

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड ननूरखेड़ा देहरादून

आदेश संख्या / **400** / उ0आ0वि0स0 / रा0गां0न0वि0 / प्रतिनियुक्ति / 2016-17 दिनांक **25** जून 2016

विज्ञप्ति / प्रतिनियुक्ति

उत्तराखण्ड आवासीय विद्यालय समिति द्वारा संचालित राजीव गांधी नवोदय विद्यालयों में रिक्त टी0जी0टी0 अंग्रेजी पद पर साक्षात्कार समिति की संस्तुति पर शैक्षणिक शाखा के निम्न कार्मिकों को चयनोपरान्त स्तम्भ 4 में अंकित विद्यालय में टी0जी0टी0 अंग्रेजी पद के प्रति 3 वर्ष अथवा नियमित नियुक्ति होने तक (जो भी पहले हो) प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापित किया जाता है।

प्रतिनियुक्ति अवधि जन हित में विशेष परिस्थितियों में कार्य निष्पादन उत्तम होने पर अतिरिक्त 01 वर्ष तक बढ़ायी जा सकती है। कार्यभार ग्रहण करने के तीन माह के अन्तर्गत सम्बन्धित के कार्यों का परीक्षण किया जायेगा जिसके आधार पर प्रतिनियुक्ति अवधि के सम्बन्ध में निर्णय लिया जायेगा। कार्य संतोषप्रद न होने की स्थिति में प्रतिनियुक्ति 3 वर्ष की अवधि से पूर्व कभी भी समाप्त की जा सकती है।

क्र.सं.	नम	पदनाम / कार्यरत विद्यालय	आवंटित आवासीय विद्यालय का नाम
1	2	3	4
1	श्री राजीव कुमार सक्सेना	टी0जी0टी0 अंग्रेजी रा0गां0न0 वि0 कोटाबाग नैनीताल	राजीव गांधी नवोदय विद्यालय कोटाबाग नैनीताल
2	श्री परमबीर सिंह कठैत	टी0जी0टी0 अंग्रेजी रा0गां0न0 वि0 ननूरखेड़ा देहरादून	राजीव गांधी नवोदय विद्यालय ननूरखेड़ा देहरादून
3	श्री गणेश चन्द्र	स0अ0 अंग्रेजी रा0इ0का0लोहार चौरा बागेश्वर	राजीव गांधी नवोदय विद्यालय ननूरखेड़ा देहरादून
4	श्री राजीव कुमार शर्मा	स0अ0 अंग्रेजी रा0इ0का0 मैण्डखाल, टिहरी	राजीव गांधी नवोदय विद्यालय शिकारपुर हरिद्वार
5	श्री दिनेश चन्द्र जोशी	टी0जी0टी0 अंग्रेजी रा0गां0न0वि0कोटाबाग नैनीताल	राजीव गांधी नवोदय विद्यालय कोटाबाग नैनीताल
6	श्रीमती सुमेधा आहूजा सिंह	टी0जी0टी0 अंग्रेजी रा0गां0न0वि0 शिकारपुर हरिद्वार	राजीव गांधी नवोदय विद्यालय शिकारपुर हरिद्वार
7	श्री सदाशिव भाष्कर	रा0इ0का0तोलीसैण मुखेम टिहरी	राजीव गांधी नवोदय विद्यालय देवलधर टिहरी
8	श्री अनिल कुमार	स0अ0 अंग्रेजी रा0उ0मा0वि0 मन्दार टिहरी	राजीव गांधी नवोदय विद्यालय देवलधर टिहरी
9	श्रीमती विजया सती	स0अ0 अंग्रेजी रा0इ0का0 गड़कोट चमोली	राजीव गांधी नवोदय विद्यालय सन्तूधार पौड़ी


प्रतिनियुक्ति पर कार्यभार ग्रहण करने के समय बायोडाटा फॉर्म, शैक्षणिक/प्रशिक्षण/अनुभव प्रमाण पत्रों की छाया प्रति (एक सैट), मूल विभाग से कार्यभार मुक्ति प्रमाण पत्र, अनापत्ति प्रमाण पत्र, एल0पी0सी0 एवं स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्राचार्य के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

प्रतिनियुक्ति अवधि में सम्बन्धित कार्मिक को उनके मूल विभाग में उनके मूल पद के वेतनमान में मूल वेतन एवं ग्रेड वेतन अनुमन्य होगा एवं प्रतिनियुक्ति भत्ता उत्तराखण्ड शासन द्वारा इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार देय होगा।

विद्यालय प्रांगण में उपलब्ध आवासीय व्यवस्था में रहना अनिवार्य होगा। विद्यालय परिसर में आवासीय व्यवस्था न होने की स्थिति में विद्यालय परिसर से निकटतम 3 कि0मी0 की परिधि में स्वयं आवासीय व्यवस्था करनी होगी।


प्रतिनियुक्ति अवधि में किसी संगठन/एसोशियेशन में सक्रिय भागीदारी करने अथवा ऐसी गतवधियों जिन से विद्यालय के हित प्रभावित होते हों, में सम्मिलित होने की स्थिति में प्रतिनियुक्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी जायेगी।

प्रतिनियुक्ति पर आवंटित विद्यालय में 07 जुलाई 2016 तक अनिवार्यतः कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा प्रतिनियुक्ति स्वतः निरस्त हो जायेगी।


 (आर० के० कुंवर)
 निदेशक
 माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड
 देहरादून

पृष्ठांकन संख्या: / 7403-95 / उ०आ०वि०स० / रा०गा०न०वि० / प्रतिनियुक्ति / 2016-17 दिनांक उक्तवत्
प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. सचिव विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन।
2. जिलाधिकारी सम्बन्धित जनपद।
3. अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा कुमायूँ मण्डल नैनीताल/गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
4. कोषाधिकारी सम्बन्धित जनपद।
5. मुख्य शिक्षा अधिकारी सम्बन्धित जनपद।
6. सेवाएँ-2 अनुभाग माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड।
7. सम्बन्धित प्राचार्य राजीव गांधी नवोदय विद्यालय।
8. सम्बन्धित प्रधानाचार्य रा०इ०का० / रा०क०इ०का० / रा०उ०मा०वि० / रा०क०उ०मा०वि०
9. सम्बन्धित कार्मिक।
10. कार्यालय प्रति।


(उमा दत्त गोस्वामी)

उप निदेशक
माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड
देहरादून।

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड ननूरखेड़ा देहरादून

आदेश संख्या/ **401** /उ0आ0वि0स0/रा0गां0न0वि0/प्रतिनियुक्ति/2016-17 दिनांक **04** जून 2016
विज्ञप्ति / प्रतिनियुक्ति

उत्तराखण्ड आवासीय विद्यालय समिति द्वारा संचालित राजीव गांधी नवोदय विद्यालयों में रिक्त टी0जी0टी0 गणित पद पर साक्षात्कार समिति की संस्तुति पर शैक्षणिक शाखा के निम्न कार्मिकों को चयनोपरान्त स्तम्भ 4 में अंकित विद्यालय में टी0जी0टी0 गणित पद के प्रति 3 वर्ष अथवा नियमित नियुक्ति होने तक (जो भी पहले हो) प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापित किया जाता है।

प्रतिनियुक्ति अवधि जन हित में विशेष परिस्थितियों में कार्य निष्पादन उत्तम होने पर अतिरिक्त 01 वर्ष तक बढ़ायी जा सकती है। कार्यभार ग्रहण करने के तीन माह के अन्तर्गत सम्बन्धित के कार्यों का परीक्षण किया जायेगा जिसके आधार पर प्रतिनियुक्ति अवधि के सम्बन्ध में निर्णय लिया जायेगा। कार्य संतोषप्रद न होने की स्थिति में प्रतिनियुक्ति 3 वर्ष की अवधि से पूर्व कभी भी समाप्त की जा सकती है।

क्र.सं.	नम	पदनाम / कार्यरत विद्यालय	आवंटित आवासीय विद्यालय का नाम
1	2	3	4
1	डा0 विक्रम रावत	स0अ0 गणित रा0इ0का0 आराकोट उत्तरकाशी	राजीव गांधी नवोदय विद्यालय शिकारपुर हरिद्वार
2	श्री नारायण दत्त जोशी	स0अ0 गणित रा0उ0मा0वि0 सिंगदा चम्पावत	राजीव गांधी नवोदय विद्यालय लोहाघाट चम्पावत
3	श्री संजय शर्मा	टी0जी0टी0 गणित रा0गां0न0वि0 नैनीताल	राजीव गांधी नवोदय विद्यालय कोटाबाग नैनीताल
4	श्री अमित अरोड़ा	स0अ0 गणित रा0उ0मा0वि0 बनचुरी टिहरी	राजीव गांधी नवोदय विद्यालय देवलधर टिहरी
5	श्री सुनील कुमार	स0अ0 गणित रा0इ0का0 आछरीखुण्ट टिहरी	राजीव गांधी नवोदय विद्यालय खटीमा उधमसिंहनगर
6	श्रीमती दिशा त्रिपाठी	स0अ0 गणित, रा0बा0इ0का0 बेरीनाग पिथौरागढ़	राजीव गांधी नवोदय विद्यालय कोटाबाग नैनीताल
7	श्री घनश्याम चन्द्र	स0अ0 गणित रा0इ0का0 सराईखेत स्याल्दे अल्मोड़ा	राजीव गांधी नवोदय विद्यालय चौनलिया अल्मोड़ा
8	श्री मुजिबुर रहमान	रा0इ0का0 ललूडीखाल टिहरी	राजीव गांधी नवोदय विद्यालय लोहाघाट चम्पावत


प्रतिनियुक्ति पर कार्यभार ग्रहण करने के समय बायोडाटा फॉर्म, शैक्षणिक/प्रशिक्षण/अनुभव प्रमाण पत्रों की छाया प्रति (एक सैट), मूल विभाग से कार्यभार मुक्ति प्रमाण पत्र, अनापत्ति प्रमाण पत्र, एल0पी0सी0 एवं स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्राचार्य के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

प्रतिनियुक्ति अवधि में सम्बन्धित कार्मिक को उनके मूल विभाग में उनके मूल पद के वेतनमान में मूल वेतन एवं ग्रेड वेतन अनुमन्य होगा एवं प्रतिनियुक्ति भत्ता उत्तराखण्ड शासन द्वारा इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार देय होगा।

विद्यालय प्रांगण में उपलब्ध आवासीय व्यवस्था में रहना अनिवार्य होगा। विद्यालय परिसर में आवासीय व्यवस्था न होने की स्थिति में विद्यालय परिसर से निकटतम 3 कि0मी0 की परिधि में स्वयं आवासीय व्यवस्था करनी होगी।


प्रतिनियुक्ति अवधि में किसी संगठन/एसोशियेशन में सक्रिय भागीदारी करने अथवा ऐसी गतविधियों जिन से विद्यालय के हित प्रभावित होते हों, में सम्मिलित होने की स्थिति में प्रतिनियुक्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी जायेगी।

प्रतिनियुक्ति पर आवंटित विद्यालय में 07 जुलाई 2016 तक अनिवार्यतः कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा प्रतिनियुक्ति स्वतः निरस्त हो जायेगी।


 (अमर0 कं0 कुंवर)
 निदेशक
 माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड
 देहरादून

पृष्ठांकन संख्या: / 4496-509 / उ०आ०वि०स० / रा०गा०न०वि० / प्रतिनियुक्ति / 2016-17 दिनांक उक्तवत्
प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. सचिव विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन।
2. जिलाधिकारी सम्बन्धित जनपद।
3. अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा कुमायूँ मण्डल नैनीताल/गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
4. कोषाधिकारी सम्बन्धित जनपद।
5. मुख्य शिक्षा अधिकारी सम्बन्धित जनपद।
6. सेवाएँ-2 अनुभाग माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड।
7. सम्बन्धित प्राचार्य राजीव गांधी नवोदय विद्यालय।
8. सम्बन्धित प्रधानाचार्य रा०इ०का० / रा०क०इ०का० / रा०उ०मा०वि० / रा०क०उ०मा०वि०
9. सम्बन्धित कार्मिक।
10. कार्यालय प्रति।

 6.16

(उमा दत्त गोस्वामी)

उप निदेशक

माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड
देहरादून।

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड ननूरखेड़ा देहरादून

आदेश संख्या/ **402** / उ0आ0वि0स0 / रा0गां0न0वि0 / प्रतिनियुक्ति / 2016-17 दिनांक **04** जून 2016
विज्ञप्ति / प्रतिनियुक्ति

उत्तराखण्ड आवासीय विद्यालय समिति द्वारा संचालित राजीव गांधी नवोदय विद्यालयों में रिक्त टी0जी0टी0 हिन्दी पद पर साक्षात्कार समिति की संस्तुति पर शैक्षणिक शाखा के निम्न कार्मिकों को चयनोपरान्त स्तम्भ 4 में अंकित विद्यालय में टी0जी0टी0 हिन्दी पद के प्रति 3 वर्ष अथवा नियमित नियुक्ति होने तक (जो भी पहले हो) प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापित किया जाता है।

प्रतिनियुक्ति अवधि जन हित में विशेष परिस्थितियों में कार्य निष्पादन उत्तम होने पर अतिरिक्त 01 वर्ष तक बढ़ायी जा सकती है। कार्यभार ग्रहण करने के तीन माह के अन्तर्गत सम्बन्धित के कार्यों का परीक्षण किया जायेगा जिसके आधार पर प्रतिनियुक्ति अवधि के सम्बन्ध में निर्णय लिया जायेगा। कार्य संतोषप्रद न होने की स्थिति में प्रतिनियुक्ति 3 वर्ष की अवधि से पूर्व कभी भी समाप्त की जा सकती है।

क्र.सं.	नम	पदनाम / कार्यरत विद्यालय	आवंटित आवासीय विद्यालय का नाम
1	2	3	4
1	डा0 पूरण प्रकाश	टी0जी0टी0 हिन्दी रा0गां0न0वि0 चौनलिया, अल्मोड़ा	राजीव गांधी नवोदय विद्यालय चौनलिया अल्मोड़ा
2	डा0 नर्मदा	स0अ0 हिन्दी रा0बा0इ0का0 रूद्रप्रयाग	राजीव गांधी नवोदय विद्यालय ननूरखेड़ा देहरादून
3	श्री राजेन्द्र सिंह बिष्ट	स0अ0 हिन्दी रा0गां0न0वि0 ननूरखेड़ा देहरादून	राजीव गांधी नवोदय विद्यालय ननूरखेड़ा देहरादून
4	श्री रविन्द्र कुमार	स0अ0 हिन्दी रा0इ0का0 आराकोट उत्तरकाशी	राजीव गांधी नवोदय विद्यालय शिकारपुर हरिद्वार
5	श्री दयाकृष्ण मिश्रा	स0अ0 हिन्दी रा0उ0मा0वि0 मसमोली, अल्मोड़ा	राजीव गांधी नवोदय विद्यालय कोटाबाग नैनीताल
6	श्रीमती मीनाक्षी शाह	स0अ0 हिन्दी रा0इ0का0 ग्वाड़ चमोली	राजीव गांधी नवोदय विद्यालय देवलधार टिहरी टिहरी
7	श्री अतुल वर्मा	स0अ0 हिन्दी रा0गां0न0वि0 चौनलिया, अल्मोड़ा	राजीव गांधी नवोदय विद्यालय चौनलिया अल्मोड़ा
8	श्री अरशद परवेज आजमी	स0अ0 हिन्दी रा0इ0का0 पक्वाधार पिथौरागढ़	राजीव गांधी नवोदय विद्यालय कोटाबाग नैनीताल


प्रतिनियुक्ति पर कार्यभार ग्रहण करने के समय बायोडाटा फॉर्म, शैक्षणिक/प्रशिक्षण/अनुभव प्रमाण पत्रों की छाया प्रति (एक सैट), मूल विभाग से कार्यभार मुक्ति प्रमाण पत्र, अनापत्ति प्रमाण पत्र, एल0पी0सी0 एवं स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्राचार्य के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

प्रतिनियुक्ति अवधि में सम्बन्धित कार्मिक को उनके मूल विभाग में उनके मूल पद के वेतनमान में मूल वेतन एवं ग्रेड वेतन अनुमन्य होगा एवं प्रतिनियुक्ति भत्ता उत्तराखण्ड शासन द्वारा इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार देय होगा।

विद्यालय प्रांगण में उपलब्ध आवासीय व्यवस्था में रहना अनिवार्य होगा। विद्यालय परिसर में आवासीय व्यवस्था न होने की स्थिति में विद्यालय परिसर से निकटतम 3 कि0मी0 की परिधि में स्वयं आवासीय व्यवस्था करनी होगी।


प्रतिनियुक्ति अवधि में किसी संगठन/एसोशियेशन में सक्रिय भागीदारी करने अथवा ऐसी गतविधियों जिन से विद्यालय के हित प्रभावित होते हों, में सम्मिलित होने की स्थिति में प्रतिनियुक्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी जायेगी।

प्रतिनियुक्ति पर आवंटित विद्यालय में 07 जुलाई 2016 तक अनिवार्यतः कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा प्रतिनियुक्ति स्वतः निरस्त हो जायेगी।


 (आर0 के0 कुंवर)
 निदेशक
 माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड
 देहरादून

पृष्ठांकन संख्या: / 7550 -23 / उ0आ0वि0स0 / रा0गां0न0वि0 / प्रतिनियुक्ति / 2016-17 दिनांक उक्तवत्
प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. सचिव विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन ।
2. जिलाधिकारी सम्बन्धित जनपद ।
3. अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा कुमायूँ मण्डल नैनीताल/गढ़वाल मण्डल पौड़ी ।
4. कोषाधिकारी सम्बन्धित जनपद ।
5. मुख्य शिक्षा अधिकारी सम्बन्धित जनपद ।
6. सेवाएँ-2 अनुभाग माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड ।
7. सम्बन्धित प्राचार्य राजीव गांधी नवोदय विद्यालय ।
8. सम्बन्धित प्रधानाचार्य रा0इ0का0 / रा0क0इ0का0 / रा0उ0मा0वि0 / रा0क0उ0मा0वि0
9. सम्बन्धित कार्मिक ।
10. कार्यालय प्रति ।



(उमा दत्त गोस्वामी)

उप निदेशक

माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड

देहरादून ।